

भारतीय ड्राम अधिनियम, 1886

(1886 का अधिनियम संख्यांक 11)

[12 मार्च, 1886]

ड्रामों के सन्निर्माण को सुकर बनाने तथा उनके
कार्यचालन को विनियमित
करने के लिए
अधिनियम

ड्रामों के सन्निर्माण को सुकर बनाने तथा उनके कार्यचालन को विनियमित करना समीचीन है अतः निम्नलिखित रूप में इसके द्वारा अधिनियमित किया जाता है :—

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय ड्राम अधिनियम, 1886 है; और

(2) तुरंत प्रवृत्त होगा।

2. स्थानीय विस्तार—(1) प्रथमतः इसका विस्तार ¹[1 नवम्बर, 1956 के ठीक पूर्व भाग ख राज्यों में समाविष्ट राज्यक्षेत्रों के तथा ऐसे राज्यक्षेत्रों के सिवाय, जो 12 मार्च, 1886 को क्रमशः गवर्नर आफ फोर्ट सेन्ट जार्ज इन कौन्सिल, गवर्नर आफ बाम्बे इन कौन्सिल तथा लेफ्टिनेन्ट गवर्नर आफ बंगाल द्वारा प्रशासित थे,] ²[संपूर्ण भारत पर है]।

³[(2) इस अधिनियम का विस्तार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा संबंधित ⁴राज्य सरकार द्वारा उक्त सम्पूर्ण राज्यक्षेत्रों पर या उसके किसी भाग पर, किया जा सकता है।]

3. परिभाषाएं—इस अधिनियम में जब तक कि कोई बात विषय या सन्दर्भ से विरुद्ध न हो,—

(1) “स्थानीय प्राधिकारी” से ऐसी कोई नगरपालिका समिति, जिला बोर्ड, पत्तन आयुक्तों का निकाय या अन्य प्राधिकारी अभिप्रेत है जो नगरपालिका या स्थानीय निधि के नियंत्रण या प्रबन्ध के लिए वैध रूप से हकदार है अथवा जो उसमें ⁴[केन्द्रीय या किसी राज्य सरकार] द्वारा न्यस्त है;

(2) “सड़क” से कोई सड़क, पथ, आम रास्ता या स्थान का मार्ग अभिप्रेत है, जिसके साथ-साथ, या जिसके आर-पार इस अधिनियम के अधीन प्राधिकृत ड्राम बिछाई गई है या उसका बिछाया जाना आशयित है और इसके अन्तर्गत सड़क की पृष्ठ मृदा और अवमृदा और सड़क का पैदल मार्ग, पटरी, नालियां या खाइयां और कोई ऐसा पुल, पुलिया, या सेतु भी है जो सड़क के भाग स्वरूप है;

(3) “सड़क प्राधिकारी” से सड़क के संबंध में निम्नलिखित अभिप्रेत है :—

(क) यदि कोई स्थानीय प्राधिकारी सड़क का रख-रखाव तथा मरम्मत करता है, तब वह प्राधिकारी;

(ख) यदि कोई स्थानीय प्राधिकारी किसी सड़क का रख-रखाव तथा मरम्मत नहीं करता है तथा वह सड़क न तो सरकार में निहित है न तो ⁴[⁵सरकार], द्वारा उसका रख-रखाव तथा मरम्मत की जाती है तब ऐसा व्यक्ति जिसमें सड़क निहित है; और

(ग) यदि कोई स्थानीय प्राधिकारी किसी सड़क का रख-रखाव तथा मरम्मत नहीं करता है तथा वह सड़क सरकार में निहित है या ⁴[⁶सरकार] द्वारा उसका रख-रखाव या मरम्मत की जाती है तब, ⁷[यथास्थिति, ऐसी सरकार, जिसके प्रयोजन के लिए सड़क इस प्रकार निहित की गई है या जो सड़क का रख-रखाव तथा मरम्मत करती है];

¹ विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा “गवर्नर आफ फोर्ट जार्ज इन कौन्सिल, गवर्नर आफ बाम्बे इन कौन्सिल तथा लेफ्टिनेन्ट गवर्नर आफ बंगाल द्वारा प्रशासित राज्यक्षेत्रों के सिवाय भारत के सभी प्रांतों पर है” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

² विधि अनुकूलन (संख्यांक 2) आदेश, 1956 द्वारा “भाग ख राज्यों” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

³ भारतीय शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा मूल उपधारा (2) के स्थान पर प्रतिस्थापित। इस अधिनियम का विस्तार मुंबई शहर के सिवाय संपूर्ण मुंबई प्रेसीडेंसी पर किया गया है, देखिए मुंबई शासन राजपत्र, 1887, भाग 1, पृष्ठ 899; इसका विस्तार मद्रास शहर पर भी किया गया है, देखिए फोर्ट सेन्ट जार्ज गजट; 1886, भाग 1, पृष्ठ 750। इसका विस्तार पांडिचेरी पर 1963 के विनियम 7, धारा 3 और अनुसूची 1 द्वारा 1-10-1963 से किया गया है। इसका विस्तार भागतः बरार पर भी बरार विधि अधिनियम, 1941 (1941 का 4) द्वारा किया गया है।

⁴ भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा “सरकार” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

⁵ विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा “केन्द्रीय सरकार या प्रांतीय” शब्दों का लोप किया गया।

⁶ विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा “केन्द्रीय सरकार या किसी प्रांतीय” शब्दों का लोप किया गया।

⁷ भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा “स्थानीय सरकार” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(4) स्थानीय प्राधिकारी या सड़क-प्राधिकारी के संबंध में “सर्किल” से उक्त प्राधिकारी के नियन्त्रण के अधीन का क्षेत्र अभिप्रेत है;

¹[(5) “ट्राम” से एक, दो या उससे अधिक रेल वाला ट्राम अभिप्रेत है और उसके अन्तर्गत निम्नलिखित हैं—

(क) किसी ट्राम का कोई भाग या किसी ट्राम की साइडिंग, टर्न आउट, संबंधन लाइन या ट्रैक;

(ख) ट्राम का कोई विद्युत उपस्कर; तथा

(ग) कोई विद्युत प्रदाय लाइन जो किसी विद्युत उत्पादन स्टेशन या उपविद्युत उत्पादन स्टेशन से किसी ट्राम को अथवा किसी विद्युत उत्पादन स्टेशन से किसी ऐसे उपविद्युत उत्पादन स्टेशन को, जिससे कि किसी ट्राम को विद्युत प्रेषित की जाती है, विद्युत का प्रेषण करती है;]

(6) “आदेश” से ऐसा आदेश अभिप्रेत है जो इस अधिनियम के अधीन ट्राम के सन्निर्माण को प्राधिकृत करता है और इसके अन्तर्गत उक्त आदेश के स्थान पर प्रतिस्थापित या उसमें संशोधन, उसका विस्तार या उसमें फेरफार करने वाले अतिरिक्त आदेश सम्मिलित हैं;

(7) “संप्रवर्तक” से ऐसा स्थानीय प्राधिकारी या व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसके पक्ष में कोई आदेश दिया गया है और इसके अन्तर्गत कोई स्थानीय प्राधिकारी या ऐसा व्यक्ति है जिसे इस अधिनियम द्वारा और इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी आदेश या बनाए गए किसी नियम द्वारा ट्राम के सन्निर्माण, रखरखाव और उपयोग के बारे में संप्रवर्तक को प्रदत्त अधिकार और अधिरोपित दायित्व न्यागत किए गए हैं;

(8) “उपक्रम” के अन्तर्गत संप्रवर्तक ऐसी सभी स्थावर तथा जंगम संपत्ति हैं जो ट्राम के लिए उपयुक्त है और उसके प्रयोजन के लिए उसके द्वारा उपयोजित हैं;

(9) “गाड़ी” के अन्तर्गत किसी ट्राम के संबंध में जिसमें वाष्प शक्ति या कोई अन्य यांत्रिक शक्ति है ²[या विद्युत् शक्ति] का उपयोग किया जाता है, उक्त शक्ति का उत्पादन ²[या उपयोग] करने के प्रयोजन के लिए ट्राम पर चालित इंजन आता है;

(10) “पथकर” के अन्तर्गत किसी ट्राम के उपयोग की बाबत उद्ग्रहणीय कोई प्रभार हैं;

(11) “पट्टेदार” से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे ट्राम के उपयोग तथा प्राधिकृत पथकर की मांग करने और लेने के अधिकार का पट्टा दिया गया है;

(12) “जिला मजिस्ट्रेट” के अन्तर्गत ऐसा अधिकारी है, जिसे ³[सरकार] ने उसके नाम से अथवा उसके पद के आधार पर, किसी स्थानीय क्षेत्र के भीतर इस अधिनियम के अधीन जिला मजिस्ट्रेट के सभी या किसी कृत्य के निर्वहन के लिए सशक्त किया है;

(13) “जिला न्यायालय” से आरम्भिक अधिकारिता का प्रधान सिविल न्यायालय अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत मामूली आरम्भिक सिविल अधिकारिता रखने वाला उच्च न्यायालय भी है;

(14) “कलक्टर” से जिला के भू-राजस्व प्रशासन का मुख्य भारसाधक अधिकारी अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत ऐसा अधिकारी आता है जिसे ³[सरकार] ने उसके नाम से या उसके पद के आधार पर किसी स्थानीय क्षेत्र के भीतर इस अधिनियम के अधीन कलक्टर के कृत्यों के निर्वहन के लिए सशक्त किया है; ^{4****}

(15) “विहित” से इस अधिनियम के अधीन ³[सरकार] द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत हैं; ⁵[तथा]

⁶[(16) “सरकार” से अभिप्रेत है किसी ऐसे ट्राम के संबंध में, जो पूर्णतया किसी नगरपालिका क्षेत्र के भीतर है या जो संविधान के अनुच्छेद 366 के खण्ड (20) के अधीन रेल घोषित नहीं किया गया है, राज्य सरकार और किसी अन्य ट्राम के संबंध में केन्द्रीय सरकार।]

ट्राम के सन्निर्माण को प्राधिकृत करने वाले आदेश

4. आदेश के लिए आवेदन तथा उसके लिए आवश्यक सहमति—(1) किसी सर्किल में ट्राम के सन्निर्माण को प्राधिकृत करने वाला आदेश ³[सरकार]—

¹ 1911 के अधिनियम सं० 5 की धारा 2 द्वारा मूल खण्ड के स्थान पर प्रतिस्थापित।

² 1911 के अधिनियम सं० 5 की धारा 3 द्वारा अंतःस्थापित।

³ भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा “स्थानीय सरकार” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

⁴ भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा “और” शब्द का लोप किया गया।

⁵ भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा अन्तःस्थापित।

⁶ विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा मूल पैरा के, जो भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा अन्तःस्थापित किया गया था, के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(क) किसी ऐसी सड़क या किसी ऐसी सड़क के भाग के, जिसे ट्राम को पार करनी है और जिसका स्थानीय प्राधिकारी स्वयं सड़क प्राधिकारी नहीं है, सड़क प्राधिकारी की सहमति से सर्किल के स्थानीय प्राधिकारी द्वारा; अथवा

(ख) सर्किल के स्थानीय प्राधिकारी की सहमति से तथा किसी ऐसी सड़क या किसी ऐसी सड़क के भाग के, जिसे ट्राम को पार करनी है और जिसका स्थानीय प्राधिकारी स्वयं सड़क प्राधिकारी नहीं है सड़क प्राधिकारी की सहमति से किसी व्यक्ति द्वारा,

दिए गए आवेदन पर दे सकेगी।

1* * * *

(2) कोई स्थानीय प्राधिकारी आदेश के लिए आवेदन तब तक नहीं करेगा अथवा उसके बारे में यह तब तक नहीं समझा जाएगा कि उसने आदेश के लिए किसी व्यक्ति द्वारा आवेदन किए जाने के लिए सहमति दी है जब तक कि उक्त आवेदन का दिया जाना या सहमति का दिया जाना स्थानीय प्राधिकारी द्वारा विहित रीति में अनुमोदित न किया गया हो।

5. कुछ मामलों में स्थानीय या सड़क प्राधिकारी की सहमति का आवश्यक न होना—जहां दो या दो से अधिक सर्किलों में ट्राम का बिछाना प्रस्तावित है और स्थानीय प्राधिकारी या सड़क प्राधिकारी, जिसका उन सर्किलों में से किसी पर नियंत्रण है, अपनी सहमति नहीं देता है अथवा अपनी सहमति के लिए शर्तें लगा देता है वहां ²[सरकार], इस पर भी, सर्किल में ट्राम के सन्निर्माण के लिए प्राधिकृत करने वाला आदेश दे सकेगी अथवा वह आदेश द्वारा संप्रवर्तक पर ऐसी कोई शर्तें अधिरोपित कर सकेगी जैसी वह ठीक समझे, यदि प्राधिकारी के सहमति न देने अथवा उस पर शर्तें लगाने के कारणों पर विचार करने के पश्चात् सरकार का यह समाधान हो जाता है कि, यथास्थिति, सर्किल में ट्राम का सन्निर्माण समीचीन है अथवा, उक्त प्राधिकारी द्वारा अपनी सहमति के लिए लगाई गई शर्त अधिरोपित नहीं की जानी चाहिए।

6. आदेश करने की प्रक्रिया—(1) ²[सरकार] आवेदन प्राप्त करने के पश्चात् इस पर विचार करेगी और यदि उस पर कार्यवाही करने के औचित्य के बारे में उसका समाधान हो जाता है तो वह राजपत्र में और ऐसी अन्य रीति में, जो वह हितबद्ध व्यक्तियों को सूचना देने के लिए पर्याप्त समझे, ट्राम के सन्निर्माण को प्राधिकृत करने वाले आदेश के प्रारूप को प्रकाशित करेगी।

(2) प्रारूप के साथ इस कथन की एक सूचना प्रकाशित की जाएगी कि कोई ऐसा आक्षेप या सुझाव जो कोई व्यक्ति प्रस्तावित आदेश की बाबत करना चाहता है, यदि सूचना में विनिर्दिष्ट की जाने वाली तारीख को या उसके पूर्व ²[सरकार] को प्रस्तुत किया जाएगा तो उसे स्वीकार किया जाएगा और उस पर विचार किया जाएगा।

(3) यदि इस प्रकार विनिर्दिष्ट तारीख को या उसके पूर्व प्रारूप के संबंध में किए गए किन्हीं आक्षेपों या सुझावों पर विचार करने के पश्चात् ²[सरकार] की यह राय है कि आवेदन को किसी परिवर्धन या उपांतरण के साथ या उसके बिना अथवा किसी निर्बन्धन या शर्त के अधीन या उसके बिना, मंजूर किया जाना चाहिए, तो वह तदनुसार आदेश कर सकेगी।

(4) ट्राम के सन्निर्माण को प्राधिकृत करने वाला प्रत्येक आदेश राजपत्र में अंग्रेजी भाषा में तथा अन्य विहित भाषा या भाषाओं में, यदि कोई हों, प्रकाशित किया जाएगा और उक्त प्रकाशन इस बात का निश्चायक सबूत होगा कि वह आदेश, इस भाग में अपेक्षित रीति से, किया गया है।

7. आदेश की विषय-वस्तु—(1) धारा 6 के अधीन किया गया आदेश उसमें विनिर्दिष्ट संप्रवर्तक को उसमें उपबंधित रीति से उसमें वर्णित ट्राम के सन्निर्माण और उसके रखरखाव के लिए सशक्त करेगा तथा उसमें वह समय, जिसमें ट्राम प्रारम्भ की जाएगी तथा वह समय, जिसके भीतर उसे पूरा किया जाएगा तथा सार्वजनिक यातायात के लिए खोला जाएगा विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(2) इस अधिनियम से सुसंगत रीति से आदेश में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सभी बातों या उनमें से किसी के लिए भी उपबन्ध किया जा सकेगा, अर्थात् :—

(क) वह समय, जिसकी समाप्ति के पूर्व ट्राम प्रारम्भ नहीं किया जाएगा और वे शर्तें, जिनके अधीन रहते हुए स्थानीय प्राधिकारी, जब वह स्वयं संप्रवर्तक नहीं हैं, उस अवधि के भीतर, उस उपक्रम या उसके उतने भाग की बाबत, जो उसके सर्किल के भीतर है; संप्रवर्तक के स्थान पर प्रतिस्थापित किए जाने का निर्वाचन कर सकेगा, और वे समय-सीमाएं, जिनके भीतर और वे शर्तें, जिन पर, स्थानीय प्राधिकारी ट्राम का सन्निर्माण किए जाने के पश्चात् संप्रवर्तक से अपेक्षा कर सकेगा कि वह उस उपक्रम या उसके इतने भाग का, जो उसके सर्किल के भीतर है, विक्रय उसे कर दे;

(ख) ट्राम के प्रयोजनों के लिए संप्रवर्तक द्वारा भूमि का अर्जन तथा उसके द्वारा ऐसी भूमि का व्ययन, जो अर्जित तो की गई है किन्तु जिसकी अब उन प्रयोजनों के लिए आवश्यकता नहीं रह गई है;

(ग) वे शर्तें, जिनके अधीन ट्राम या उसके किसी भाग से सन्निर्माण या रखरखाव के प्रयोजनों के लिए सड़क खोली तथा तोड़ी जा सकेगी तथा सड़कों के पुनः बनाने की पद्धति और उसमें उपयोग में लाई जाने वाली सामग्री और संकर्म के प्रारम्भ के पूर्व ²[सरकार] या सड़क प्राधिकारी द्वारा उक्त पद्धति तथा सामग्री का अनुमोदन;

¹ भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा परन्तुक का लोप किया गया।

² भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "स्थानीय सरकार" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(घ) वे शर्तें, जिन पर ट्राम का सन्निर्माण किसी पुल या रेल या ट्राम के ऊपर से किया जा सकेगा जब कि पुल के ऊपर का गाड़ी मार्ग ट्राम का भाग हो अथवा जब ट्राम को किसी रेल या अन्य ट्राम को समतल पर आरपार करना हो;

¹[(ङ) उस सड़क पर जिस पर ट्राम का सन्निर्माण किया जाना है, सड़क के दोनों ओर गाड़ी मार्ग के बाहरी भाग और सड़क के छोर के बीच कितनी दूरी होगी; तथा—

(i) ऐसे ट्राम की दशा में, जिसमें एक रेल है, ट्राम का रेल, अथवा

(ii) ऐसे ट्राम की दशा में जिसमें दो या उससे अधिक रेलें हैं, ट्राम की निकटतम रेल; तथा ऐसी शर्तें, जिन पर छोटे स्थान की अनुज्ञा दी जा सकेगी;

(च) ट्राम का गेज, उपयोग में लाई जाने वाली रेल और वह ढंग जिसमें तथा वह तल, जिस पर उन्हें बिछाया तथा उनका रखरखाव किया जाएगा तथा संप्रवर्तक द्वारा रेलों में और उनकी स्थिति में तथा ऐसी उपसंरचना में, जिस पर वे रखी रहती हैं, ऐसे सुधारों का अंगीकृत किया जाना तथा लागू किया जाना, जैसी ²[सरकार] समय-समय पर, अपेक्षा करे;

(छ) सड़क या सड़कों का वह भाग जिसके आरपार ट्राम जाती है, संप्रवर्तक द्वारा अच्छी दशा में बनाए रखा जाना, संप्रवर्तक द्वारा उन सड़कों या सड़क के भाग का रखरखाव ²[सरकार] के या सड़क प्राधिकारी के या दोनों के समाधानप्रद रूप में करना; और ²[सरकार] की अध्यक्षता पर समय-समय पर ट्राम में ऐसे सुधारों को अंगीकृत करने तथा उपयोजित करने का, जिन्हें ²[सरकार] लोक सुरक्षा या सुविधा के लिए आवश्यक या वांछनीय समझे तथा सड़क या सड़कों को भावी परिवर्तनों के योग्य बनाने के लिए ट्राम की स्थिति या उसके तल में परिवर्तन करने का संप्रवर्तन का दायित्व;

(ज) ट्राम के सन्निर्माण या रखरखाव में संप्रवर्तक द्वारा उल्लिखित सामग्री का उपयोजन;

(झ) आदेश द्वारा जैसा विनिर्दिष्ट या प्राधिकृत किया गया है उसके अतिरिक्त ऐसे चौराहों, पार करने वाले स्थानों, साइडिंगों, जंक्शनों तथा अन्य संकर्मों के लिए उपबन्ध करना जो ट्राम के दक्ष कार्यचालन के लिए समय-समय पर आवश्यक या सुविधापूर्ण हो;

(ञ) वे शक्तियां जिनका प्रयोग ²[सरकार] स्थानीय प्राधिकारी, सड़क प्राधिकारी या अन्य व्यक्ति, समय-समय पर ट्राम द्वारा घेरी गई भूमि के या उस पर मलनल, नालियों, तार लाइनों, गैस नलियों, पानी के नलों या अन्य वस्तुओं की बाबत करें; उक्त शक्तियों के प्रयोग के आशय की दी जाने वाली सूचना (यदि कोई हो), वह रीति जिसमें ऐसी शक्तियों का प्रयोग किया जाएगा और वह विस्तार जिस तक उक्त शक्ति के प्रयोग के लिए, ट्राम तथा उस पर के यातायात में बाधा डाली जा सकती है;

(ट) वे शर्तें, जिनके अधीन रहते हुए संप्रवर्तक समय-समय पर ऐसी नालियों (जो मलनल या मुख्य जल निकास नहीं है) तार लाइनों, गैस नलियों, पानी के नलों, या यथापूर्वोक्त अन्य वस्तुओं में छेड़छाड़ या परिवर्तन कर सके या उसकी स्थिति में परिवर्तन की अपेक्षा कर सके;

(ठ) ऐसे ट्राम के किसी भाग के स्थान पर, जो हटा दिया गया है, अथवा जिसका उपयोग किसी सड़क पर, जिसके साथ-साथ ट्राम का भाग बिछाया गया था, प्रभाव डालने वाले किसी संकर्म के निष्पादन के कारण बन्द कर दिया गया है, अथवा सड़क का उपयोग बाढ़ या अन्य कारण से अवरुद्ध हो गया है, अस्थायी ट्रामपथ का उपबन्ध;

(ड) ट्राम पर उपयोग में लाई जाने वाली गतिदायी शक्ति, और वे शर्तें जिन पर वाष्प-शक्ति या अन्य यांत्रिक शक्ति ³[या विद्युत शक्ति] का उपयोग किया जा सकेगा;

(ढ) ट्राम पर उपयोग में लाई जाने वाली गाड़ी की प्रकृति, लंबाई-चौड़ाई, फिटिंग, साधित्र, और उपकरण ²[सरकार] या स्थानीय प्राधिकारी के अधिकारियों द्वारा उनका निरीक्षण तथा परिक्षण, तथा समय-समय पर ²[सरकार] की अध्यक्षता पर गाड़ियों में तथा फिटिंगों, साधित्रों तथा उपकरणों में ऐसा सुधार अंगीकृत तथा लागू करने का संप्रवर्तक या पट्टेदार का दायित्व जिन्हें ²[सरकार] लोक सुरक्षा या लोक सुविधा के लिए आवश्यक या वांछनीय समझे;

(ण) यातायात, जो ट्राम पर वहन किया जा सकेगा, वह यातायात जिसको वहन करने के लिए संप्रवर्तक या पट्टेदार बाध्य होगा और वह यातायात जिसको वहन करने से इंकार कर सकेगा; संप्रवर्तक या पट्टेदार पर उद्ग्रहणीय किराया तथा ²[सरकार] द्वारा उसका कालिक पुनरीक्षण और यातायात का विनियमन तथा पथकर का उद्ग्रहण;

(त) स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अपनी निजी गाड़ियों के साथ विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट घंटों के दौरान पथकर का भुगतान किए बिना ट्राम का उपयोग किया जाना, जिसके साथ स्थानीय प्राधिकारी को यह भी शक्ति होगी कि वह अपने परिसरों और ट्राम के बीच ऐसी साइडिंग तथा अन्य संकर्म बना सकेगा जो उनके बीच संचार के लिए आवश्यक हो;

¹ 1911 के अधिनियम सं० 5 की धारा 4 द्वारा मूल खण्ड के स्थान पर प्रतिस्थापित।

² भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "स्थानीय सरकार" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

³ 1911 के अधिनियम सं० 5 की धारा 5 द्वारा अन्तःस्थापित।

(थ) वे शर्तें, जिनके अधीन रहते हुए संप्रवर्तक उपक्रम को या उसके किसी भाग को, विक्रय, बन्धक, पट्टा, विनिमय द्वारा या अन्यथा अन्तरित कर सकेगा, तथा वे शर्तें जिनके अधीन रहते हुए स्थानीय प्राधिकारी अन्तरिती हो सकेगा;

(द) ¹[सरकार] या स्थानीय प्राधिकारी या सड़क प्राधिकारी द्वारा किसी ऐसे कार्य का किया जाना जिसकी अधिनियम या आदेश द्वारा संप्रवर्तक से किए जाने की अपेक्षा की गई हो, तथा

(ध) आदेश में अन्तर्विष्ट किसी शर्त या निदेश का पालन करने में चूक के लिए संप्रवर्तक या पट्टेदार द्वारा उपगत की जाने वाली शास्ति और वसूल किए जाने पर शास्ति का उपयोजन।

(3) ¹[सरकार] ऐसे ट्राम के प्रयोजनों के लिए, जिसका संप्रवर्तक कोई कम्पनी नहीं है, आदेश में भूमि अर्जन के लिए उपबन्ध करने में यह निदेश दे सकेगी कि संप्रवर्तक के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1870 (1870 का 10)² के उपबन्धों के अधीन भूमि का अर्जन, उसी रीति से तथा उन्हीं शर्तों पर किया जा सकेगा जिन पर उसे, यदि कोई कम्पनी संप्रवर्तक होती तो, ट्राम के प्रयोजनों के लिए अर्जित किया जाता।

(4) आदेश में निम्नलिखित शर्तें विवक्षित होंगी—

(क) ऐसे ट्राम की दशा में, जिसका संप्रवर्तक स्थानीय प्राधिकारी है, उसका पट्टा उसी रीति से मंजूर किया जाएगा जो इस अधिनियम में उपबन्धित है; और

(ख) ऐसे ट्राम की दशा में, जिसका संप्रवर्तक स्थानीय प्राधिकारी नहीं है, उसका पट्टा केवल उपयोग के तथा प्राधिकृत पथकर मांगने तथा लेने के अधिकार के लिए ही होगा और पट्टेदार को ट्राम के सन्निर्माण या रखरखाव के सम्बन्ध में कोई शक्ति या कर्तव्य प्रदत्त या अधिरोपित नहीं करेगा।

8. अतिरिक्त आदेश—(1) ¹[सरकार] संप्रवर्तक के आवेदन पर आदेश को किसी अतिरिक्त आदेश द्वारा प्रतिसंहत, संशोधित, विस्तारित या उसमें फेरफार कर सकेगी।

(2) अतिरिक्त आदेश के लिए आवेदन उसी रीति से और उन्हीं शर्तों के अधीन किया जा सकेगा जैसा आदेश के आवेदन के लिए किया जाता है।

(3) ¹[सरकार] अपने विवेकानुसार आवेदन को या तो मंजूर कर सकती है या नामंजूर कर सकती है।

(4) यदि वह आवेदन को मंजूर करती है तो वह आदेश की ही रीति से अतिरिक्त आदेश करेगी, सिवाय इसके कि आवेदन में मांगे गए अधिकारों, शक्तियों तथा प्राधिकारों में कोई वृद्धि या उपान्तरण अथवा उनसे संबंधित निर्बन्धन या शर्त संप्रवर्तक की लिखित सम्मति के बिना अतिरिक्त आदेश द्वारा की या अधिरोपित नहीं की जाएगी।

9. स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा संयुक्त संकर्म के लिए प्राधिकृत करने की शक्ति—(1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए और उनके अनुसार ¹[सरकार] संयुक्त आवेदन पर, अथवा दो या उससे अधिक पृथक् आवेदनों पर ट्राम पथ के संपूर्ण भाग का संयुक्त रूप से सन्निर्माण करने के लिए या उसके भागों का पृथक्-पृथक् सन्निर्माण करने के लिए तथा उसके सम्पूर्ण भाग का या उसके किसी भाग का संयुक्त रूप से, या पृथक्-पृथक् स्वामी होने के लिए दो या उससे अधिक स्थानीय प्राधिकारियों को क्रमशः सशक्त करते हुए आदेश कर सकेगी।

(2) इस अधिनियम के सभी उपबन्ध, जो ट्राम के सन्निर्माण से सम्बन्धित हैं, ट्राम के संपूर्ण भाग या उसके किसी पृथक् भाग के सन्निर्माण पर विस्तारित और लागू होंगे और आदेश का प्रारूप मामले की परिस्थितियों के अनुसार अनुकूलित किया जाएगा।

10. आदेश द्वारा दी गई शक्तियों की समाप्ति—(1) यदि कोई संप्रवर्तक, जिसे ट्राम का सन्निर्माण करने के लिए आदेश द्वारा प्राधिकृत किया गया है :—

(क) आदेश में विनिर्दिष्ट समय के भीतर ट्राम के सन्निर्माण को सारतः प्रारम्भ नहीं करता है; अथवा

(ख) सन्निर्माण प्रारम्भ करने के पश्चात् उसे ऐसे कारणों से निलंबित कर देता है, जो ¹[सरकार] की राय में उसका निलंबन करने के लिए पर्याप्त कारण नहीं है; अथवा

(ग) आदेश में विनिर्दिष्ट समय के भीतर ट्राम को पूरा नहीं करता है तथा उसे सार्वजनिक उपयोग के लिए नहीं खोलता है,

तो निम्नलिखित परिणाम होंगे—

(i) आदेश द्वारा संप्रवर्तक को ट्राम के सन्निर्माण के लिए तथा उसके सम्बन्ध में दी गई शक्तियों का प्रयोग, जब तक कि ¹[सरकार] अपने लिखित विशेष निदेश द्वारा समय को बढ़ा न दें, अथवा निलम्बन को माफ न कर दें, उतने ट्राम के सिवाय, जो उस समय तक पूरा हो गया हो, समाप्त हो जाएगा;

¹ भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा “स्थानीय सरकार” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

² अब भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का 1) के सुसंगत उपबन्ध देखिए।

(ii) उतने ट्राम के बारे में, जो उस समय तक पूरा हो गया है [सरकार] आदेश द्वारा दी गई शक्तियों को चालू रखने के लिए या तो अनुज्ञा दे सकेगी या अनुज्ञा देने से इन्कार कर सकेगी;

(iii) यदि [सरकार] शक्तियों को चालू रहने के लिए अनुज्ञा देने से इन्कार कर देती है तब उतने ट्राम के सम्बन्ध में, जो उस समय तक पूरा हो गया हो, कार्रवाई ट्राम की समाप्ति से सम्बन्धित इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन ऐसे ट्राम के रूप में की जाएगी जिसका चलना, बन्द होना [सरकार] के समाधानप्रद रूप में साबित हो चुका हो।

(2) [सरकार] द्वारा राजपत्र में प्रकाशित उस भाव की अधिसूचना, कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट तारीख को ट्राम का संनिर्माण सारतः प्रारम्भ नहीं किया गया है अथवा कोई ट्राम पूरी नहीं की गई है अथवा उसे सार्वजनिक उपयोग के लिए खोला नहीं गया है अथवा ट्राम का संनिर्माण पर्याप्त कारण के बिना निलंबित कर दिया गया है, इस धारा के प्रयोजनों के लिए उसमें कथित बातों के लिए निश्चायक सबूत होगी।

ट्राम का संनिर्माण तथा रखरखाव

11. ट्राम विरचना का ढंग—ट्राम का संनिर्माण तथा रख-रखाव आदेश में उपबंधित रीति से किया जाएगा।

12. खोले जाने के पूर्व ट्राम का निरीक्षण—किसी ट्राम पथ को या किसी ट्राम पथ के किसी भाग को या उसके विस्तार को या उसमें किए गए किसी परिवर्तन को सार्वजनिक उपयोग के लिए तब तक नहीं खोला जाएगा ² जब तक कि ³[सरकार] द्वारा नियुक्त इंजीनियर] उसका निरीक्षण न कर ले और यह प्रमाणपत्र न दे दे कि वह ऐसे यातायात के लिए ठीक है।

13. सड़क मार्ग की मरम्मत के बारे में सड़क प्राधिकारी और संप्रवर्तक के बीच करार—धारा 7 की उपधारा (2) के खण्ड (छ) में वर्णित विषयों के संबंध में तत्समय प्रवृत्त किसी आदेश के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, सड़क प्राधिकारी तथा संप्रवर्तक जिस सड़क पर से होकर ट्राम जाती है उस संपूर्ण सड़क या उसके किसी भाग को मरम्मत की हालत में रखने के लिए तथा सड़क या उसके किसी भाग को मरम्मत की हालत में रखने के खर्च के लिए उनमें से किसी के द्वारा संदाय किए जाने वाले अनुपात के बारे में समय-समय पर करार कर सकेंगे।

ट्राम पर यातायात

14. ट्राम पर संप्रवर्तकों तथा जनसाधारण के प्राधिकार—(1) उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन तथा इस अधिनियम तथा आदेश के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, ट्राम के संप्रवर्तक को, ट्राम पर उपयोग की जाने वाली रेल के रूप में आदेश में वर्णित रेल पर चलाने के लिए उपयुक्त कोरदार पहियों या अन्य पहियों वाली गाड़ियों के लिए ट्राम के उपयोग का अनन्य अधिकार होगा :

परन्तु इस अधिनियम की या इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी आदेश या बनाए गए किसी नियम की किसी बात का किसी ऐसे व्यक्ति के अधिकार पर प्रभाव नहीं पड़ेगा जिसे इस अधिनियम के अधीन संनिर्मित ट्राम को ऐसी पहियों वाली गाड़ी के साथ, जो उसकी रेल पर चलने के लिए उपयुक्त हो, ट्राम या रेल का उपयोग करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

(2) जनसाधारण को किसी ऐसी सड़क के, जिसके साथ-साथ या जिसके आरपार ट्राम का संनिर्माण किया गया है, साथ-साथ या उसके आरपार चाहे ट्राम पर या ट्राम से परे, ऐसी गाड़ी के साथ, जिसमें कोरदार पहिए या ट्राम की रेल पर चलने के लिए उपयुक्त अन्य पहिए न हों, जाने का अधिकार होगा :

परन्तु—

(क) यह उपधारा वहां लागू नहीं होगी जहां ट्राम का संनिर्माण ऐसी भूमि पर किया गया है जिसके अनन्य कब्जे का अधिकार संप्रवर्तक द्वारा अर्जित कर लिया गया है; और

(ख) [सरकार] सड़क के किसी भाग पर, सड़क के तल से उठी हुई रेलों साथ ट्राम के संनिर्माण को आदेश द्वारा प्राधिकृत कर सकती है यदि उसका समाधान हो जाए कि उससे जनता की सुविधा पर क्षतिकर प्रभाव नहीं होगा।

15. संप्रवर्तक या पट्टेदार द्वारा उद्ग्रहणीय पथकर—(1) संप्रवर्तक या पट्टेदार, ट्राम की बाबत आदेश में विनिर्दिष्ट या उसके अधीन अवधार्य सीमा से अनधिक पथकर अथवा, यदि आदेश में इस निमित्त कोई उपबन्ध नहीं है तो, ऐसी राशि, जो [सरकार] की पूर्व मंजूरी से समय-समय पर संप्रवर्तक या पट्टेदार द्वारा नियत की जाएं, मांग सकेगा तथा ले सकेगा।

(2) उद्ग्रहण किए जाने के लिए प्राधिकृत सभी पथकरों की एक सूची ऐसी भाषाओं में, जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट की जाए ट्राम पर उपयोग की जाने वाली प्रत्येक गाड़ियों के भीतर तथा बाहर सहजदृश्य स्थान पर प्रदर्शित की जाएगी।

16. खतरनाक या घृणोत्पादक माल का वहन—(1) किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन संनिर्मित ट्राम पर किसी प्रकार का खतरनाक या घृणोत्पादक प्रकृति का माल ले जाने का अथवा ले जाने की अपेक्षा करने का हक नहीं होगा।

¹ भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "स्थानीय सरकार" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

² भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "जब तक कि स्थानीय सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त इंजीनियर उसका निरीक्षण न कर ले और यह प्रमाणित न कर दे कि वह ऐसे यातायात के लिए ठीक है" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

³ विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(2) ट्राम पर अपने साथ ऐसा माल ले जाने वाला कोई व्यक्ति गाड़ी में प्रवेश करने से पहले, गाड़ी के भारसाधक, संप्रवर्तक या पट्टेदार के सेवक को माल की प्रकृति की सूचना देगा।

(3) ऐसे माल को ट्राम द्वारा भेजते समय कोई व्यक्ति उस पैकेज के बाहरी भाग पर जिसमें माल है, उसकी प्रकृति को स्पष्ट रूप से चिह्नित करेगा या अन्यथा संप्रवर्तक या पट्टेदार के सेवक को, जिसके पास वह ट्राम द्वारा भेजे जाने वाले माल को छोड़ता है, उसकी लिखित सूचना देगा।

(4) संप्रवर्तक या पट्टेदार का कोई सेवक ट्राम पर ऐसे पार्सल को ले जाने से इन्कार कर सकता है जिसके बारे में उसे शंका हो कि उसमें खतरनाक या घृणोत्पादक प्रकृति का माल है और यदि ऐसा कोई पार्सल ट्राम पर ले जाने के प्रयोजन के लिए प्राप्त कर लिया गया है तो उसके अभिवहन को तब तक रोक सकता है जब तक उसकी अन्तर्वस्तु की प्रकृति के बारे में उसका समाधान न हो जाए।

(5) यदि संप्रवर्तक या पट्टेदार का कोई सेवक उपधारा (4) के अधीन किसी ऐसे पार्सल को ले जाने से इन्कार करता है जिसे ट्राम पर ले जाने के प्रयोजन के लिए उसने प्राप्त कर लिया था तो वह, यावत्शक्य, परेषक या परेषिती को अपने इन्कार करने की सूचना देगा यदि वह ऐसा इन्कार ऐसे समय पर करता है जब कि परेषक या परेषिती दोनों में से कोई भी उपस्थित न हो।

ट्राम के उपयोग के लिए अनुज्ञप्ति

17. कुछ अवस्थाओं में तृतीय पक्षकारों को ट्राम के उपयोग के लिए अनुज्ञप्तियों का मंजूर किया जाना—यदि किसी समय, ट्राम या उसके किसी भाग को किसी सर्किल में सार्वजनिक यातायात के लिए तीन वर्ष तक खोले रखने के पश्चात् उस सर्किल का स्थानीय प्राधिकारी [सरकार] को लिखित रूप में अभ्यावेदन करता है कि ट्राम या उसके किसी भाग के पूरे फायदे से जनता-वंचित है तो [सरकार], यदि उसका ऐसे कथन पर विचार करने के पश्चात्, जो संप्रवर्तक या पट्टेदार या दोनों करना चाहें, तथा ऐसी अन्य जांच करने के पश्चात्, जो वह आवश्यक समझे, उस अभ्यावेदन की सत्यता के बारे में समाधान हो जाता है तो वह इस अधिनियम तथा इस अधिनियम के अधीन किए गए आदेश तथा बनाए गए नियमों के अनुसरण में ट्राम के उपयोग के लिए किसी व्यक्ति को निम्नलिखित उपबन्धों के अधीन रहते हुए अनुज्ञप्ति मंजूर कर सकती है—

(क) अनुज्ञप्ति, अनुज्ञप्ति दिए जाने की तारीख से कम से कम एक वर्ष या अधिक से अधिक तीन वर्ष की कालावधि के लिए होगी, किन्तु [सरकार] अपने विवेकानुसार उसका नवीकरण कर सकेगी;

(ख) अनुज्ञप्ति तत्समय जनता के लिए खोली गई पूरी ट्राम के अथवा ट्राम के ऐसे भाग या भागों के उपयोग के लिए होगी जैसा [सरकार] अनुज्ञप्ति मंजूर करने के कारण को ध्यान में रखते हुए ठीक समझे;

(ग) अनुज्ञप्ति में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा ट्राम पर चलाए जाने वाली गाड़ियों की संख्या, वह ढंग जिसमें, और वह समय जिस पर गाड़ियां चलाई जाएंगी, ट्राम के उपयोग के लिए संप्रवर्तक या पट्टेदार को अनुज्ञप्तिधारी द्वारा संदत्त किए जाने वाले पथकर या ऐसे पथकर विनिर्दिष्ट किए जाएंगे जो तत्समय संप्रवर्तक या पट्टेदार द्वारा उद्ग्रहणीय हों और जिसे अनुज्ञप्तिधारी अपनी गाड़ियों के उपयोग के लिए मांग सकेगा या ले सकेगा;

(घ) अनुज्ञप्तिधारी और उसके अधिकारी तथा सेवक संप्रवर्तक या पट्टेदार द्वारा उस प्रयोजन के लिए सम्यक् रूप से प्राधिकृत एक व्यक्ति को ट्राम पर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा चलाई जा रही प्रत्येक गाड़ी में या उस पर पूरी यात्रा के लिए या उसके किसी भाग के लिए पथकर दिए बिना यात्रा करने की अनुज्ञा देंगे;

(ङ) इस अधिनियम का या इस अधिनियम के अधीन किए गए आदेश या बनाए गए नियमों के किसी उपबन्ध का, जो संप्रवर्तक या पट्टेदार के सेवक के कृत्यों से संबंधित हैं, यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह यावत्शक्य अनुज्ञप्तिधारी के सेवक के प्रति निर्देश हैं;

(च) [सरकार] किसी ऐसे कारण से, जो उसकी राय में अनुज्ञप्ति को प्रत्याहृत, परिवर्तित या उपांतरित करने के लिए पर्याप्त हो, किसी अनुज्ञप्ति को प्रत्याहृत, परिवर्तित या उपांतरित कर सकेगी।

18. अनुज्ञप्तिधारी द्वारा संप्रवर्तक या पट्टेदार को यातायात के बारे में लेखा-जोखा दिया जाना—कोई अनुज्ञप्तिधारी, मांग किए जाने पर, संप्रवर्तक या पट्टेदार द्वारा उस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी या सेवक को ऐसे यात्रियों की संख्या अथवा माल की संख्या या मात्रा का लिखित रूप में, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा हस्ताक्षरित लेखा-जोखा देगा जो उसके द्वारा ट्राम पर उपयोग की गई किसी और प्रत्येक गाड़ियों द्वारा वहन किए जाएं।

ट्राम का बंद किया जाना

19. ट्राम के बंद हो जाने पर संप्रवर्तक तथा पट्टेदार की शक्तियों का समाप्त हो जाना—सार्वजनिक उपयोग के लिए ट्राम के खोले जाने के पश्चात् यदि किसी समय [सरकार] के समाधानप्रद रूप में यह साबित हो जाता है कि ट्राम का या उसके किसी भाग का कार्यकरण ऐसे कारण के बिना जो [सरकार] की राय में उसके बन्द किए जाने का पर्याप्त आधार हो, व्यावहारिक रूप से तीन मास से बन्द कर दिया गया है, तो [सरकार] यदि वह उचित समझे, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह घोषित कर सकती है कि संप्रवर्तक और

¹ भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "स्थानीय सरकार" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

पट्टेदार की, यदि कोई हो, ट्राम या उसके किसी भाग के संबंध में, जिसका संचालन इस प्रकार बन्द कर दिया गया है, शक्तियां अधिसूचना की तारीख से समाप्त हो जाएंगी और तदुपरि ऐसी शक्तियां उसके सिवाय, जहां तक उन्हें स्थानीय प्राधिकारी द्वारा इस अधिनियम द्वारा उपबन्धित रीति से क्रय कर लिया जाता है, समाप्त और पर्यवसित हो जाएंगी।

20. संप्रवर्तक की शक्तियों की समाप्ति पर सड़क प्राधिकारी की शक्तियां—(1) जहां धारा 19 के अधीन कोई अधिसूचना जारी की गई है, वहां सड़क प्राधिकारी, अधिसूचना जारी किए जाने की तारीख से दो मास के अवसान के पश्चात्, ऐसे ट्राम या ट्राम के किसी भाग को, जिसका कार्यकरण इस प्रकार बंद हो गया है, हटा सकेगा और उसकी सामग्री का सड़क के पुनःस्थापन के लिए उपयोग कर सकेगा।

(2) संप्रवर्तक सड़क प्राधिकारी द्वारा ट्राम या उसके किसी भाग को हटाने या सड़क के पुनः बनाने में उपगत व्यय को सड़क प्राधिकारी को संदत्त करेगा।

(3) खर्चे को सड़क प्राधिकारी का कोई अधिकारी प्रमाणित करेगा और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित उसका प्रमाणपत्र उपगत व्यय की बाबत निश्चायक सबूत होगा।

(4) यदि संप्रवर्तक इस प्रकार प्रमाणित रकम का संदाय उक्त प्रमाणपत्र या उसकी प्रतिलिपि का उसको परिदान किए जाने के पश्चात् एक मास के भीतर नहीं करता है तो सड़क प्राधिकारी संप्रवर्तक को पूर्व सूचना दिए बिना तथा किसी ऐसे अन्य उपचार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जो वह रकम को वसूल किए जाने के लिए करता, ट्राम या उसके किसी भाग की हटाई गई ऐसी सामग्री का विक्रय या व्यय, जो सड़क के पुनः बनाने के उपयोग में नहीं लाई गई है, लोक नीलाम द्वारा अथवा प्राइवेट विक्रय द्वारा ऐसी राशि या राशियों के लिए और ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को, जो वह ठीक समझे, कर सकेगा तथा उक्त विक्रय के आगम में से उपरोक्त व्यय की रकम तथा विक्रय में हुए खर्चों के लिए संदाय तथा अपनी प्रतिपूर्ति कर सकेगा तथा विक्रय के आगमों के अवशेष को (यदि कोई हो) संप्रवर्तक को संदत्त कर देगा।

संप्रवर्तक का दिवालिया होना

21. संप्रवर्तक के दिवालिया होने के मामले में कार्यवाहियां—यदि किसी समय सार्वजनिक यातायात के लिए किसी सर्किल में ट्राम पथ के खोले जाने के पश्चात् उस सर्किल के सड़क प्राधिकारी या स्थानीय प्राधिकारी को ऐसा प्रतीत होता है कि ट्राम का संप्रवर्तक दिवालिया हो गया है जिससे वह ट्राम का रख-रखाव करने में अथवा जनसाधारण के फायदे के लिए उसको चलाने में असमर्थ हो गया है, और उन प्राधिकारियों में से कोई भी इस प्रभाव का अभ्यावेदन [सरकार] को करता है, तो [सरकार], यदि उसका किसी ऐसे कथन पर विचार करने के पश्चात्, जो संप्रवर्तक करना चाहे, और ऐसी अन्य जांच करने के पश्चात्, जो उसे आवश्यक प्रतीत हो, उक्त अभ्यावेदन की सत्यता के बारे में समाधान हो जाता है तो, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह घोषित कर सकेगी कि संप्रवर्तक की शक्तियां, अधिसूचना के प्रकाशन से छह मास के अवसान के पश्चात्, समाप्त हो जाएंगी और संप्रवर्तक की शक्तियां, उसके सिवाय, जहां तक उन्हें इस अधिनियम द्वारा उपबन्धित रीति से स्थानीय प्राधिकारी द्वारा क्रय कर लिया जाता है, समाप्त और पर्यवसित हो जाएंगी।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन कोई अधिसूचना जारी की गई है, वहां सड़क प्राधिकारी उस तारीख से छह मास के अवसान के पश्चात् किसी समय ट्राम को उसी रीति से तथा उसे हटाने के व्यय के संदाय के लिए, उन्हीं उपबन्धों के अधीन रहते हुए तथा व्यय की वसूली के लिए उसी उपचार के अधीन रहते हुए, जो सबकी बाबत धारा 20 के अधीन हटाने के मामलों में हैं, हटा सकेगा।

ट्रामों का क्रय

22. स्थानीय प्राधिकारी द्वारा उपक्रम का भावी क्रय—जहां किसी सर्किल में ट्राम का संप्रवर्तक, स्थानीय प्राधिकारी नहीं है, वहां स्थानीय प्राधिकारी [सरकार] की पूर्व मंजूरी से—

(क) ऐसी समय-सीमा के भीतर, जो आदेश में इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाए, अथवा

(ख) यदि आदेश में कोई समय विनिर्दिष्ट नहीं है तो आदेश की तारीख से इक्कीस वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् छह मास के भीतर तथा पश्चात्वर्ती प्रत्येक सात वर्ष के अवसान के पश्चात् छह मास के भीतर, अथवा

(ग) धारा 19 के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात् दो मास के भीतर अथवा धारा 21 के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात् छह मास के भीतर,

लिखित सूचना द्वारा संप्रवर्तक से यह अपेक्षा कर सकेगी कि वह स्थानीय प्राधिकारी को अपने उपक्रम का या उसके किसी भाग का, जो स्थानीय प्राधिकारी के सर्किल के भीतर है, विक्रय कर दे और तत्पश्चात् संप्रवर्तक उसका विक्रय ऐसे निबन्धनों पर, जो आदेश में विनिर्दिष्ट है, अथवा यदि आदेश में निबन्धन विनिर्दिष्ट नहीं हैं तो उपक्रम अथवा उसके किसी भाग के तात्कालिक मूल्य का संदाय करने के निबन्धन पर, कर सकेगा जिसमें उपक्रम के भूतकालिक या भावी लाभों के लिए कोई मोक अथवा अनिवार्य विक्रय के लिए कोई प्रतिफल या अन्य किसी प्रकार के अन्य प्रतिफल सम्मिलित नहीं हैं।

¹ भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "स्थानीय सरकार" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई अध्यपेक्षा तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि स्थानीय प्राधिकारी द्वारा उसका विहित रीति से अनुमोदन न कर दिया गया हो।

(3) जहां इस धारा के अधीन विक्रय किया गया है वहां, विक्रीत उपक्रम या उसके किसी भाग के संबंध में संप्रवर्तक के सभी अधिकार, शक्तियां तथा प्राधिकार अथवा जहां धारा 19 या धारा 21 के अधीन कोई अधिसूचना प्रकाशित की गई है वहां विक्रीत उपक्रम या उसके किसी भाग के संबंध में संप्रवर्तक के, अधिसूचना के प्रकाशन से पूर्व के, सभी अधिकार, शक्तियां तथा प्राधिकार ऐसे प्राधिकारी को अंतरित हो जाएंगे, जिसे उपक्रम या उसके किसी भाग का विक्रय किया गया है तथा उस प्राधिकारी में निहित हो जाएंगे तथा उसके द्वारा उनका प्रयोग उस रीति से किया जाएगा मानो इस अधिनियम के अधीन किए गए आदेश के अधीन ट्राम का संनिर्माण उसी के द्वारा किया गया है।

(4) इस धारा के पूर्ववर्ती उपबन्धों के अधीन रहते हुए तथा उनके अनुसार, दो या उससे अधिक प्राधिकारी किसी उपक्रम या उसके उतने भाग का क्रय, जो उनके सर्किल के भीतर आते हैं, संयुक्त रूप से कर सकते हैं।

स्थानीय प्राधिकारियों के स्वामित्वाधीन ट्रामों का कार्यकरण

23. स्थानीय प्राधिकारी द्वारा ट्राम का पट्टा अथवा उनका कार्यकरण—(1) यदि किसी स्थानीय प्राधिकारी ने किसी आदेश के प्राधिकार के अधीन किसी ट्राम को पूरा किया है अथवा इस अधिनियम के या किसी आदेश के उपबंधों के अधीन किसी ट्राम का कब्जा अर्जित किया है तो वह ऐसे पट्टे द्वारा, जिसे ¹[सरकार] अनुमोदित करे, ट्राम का उपयोग करने और प्राधिकृत पथकार की मांग करने तथा उसको लेने का अधिकार किसी व्यक्ति को पट्टे पर दे सकेगा।

(2) पट्टे के पर्यवसान पर स्थायी प्राधिकारी, समय-समय पर, उस अधिकार को ऐसी अतिरिक्त अवधि के लिए तथा ऐसी शर्तों पर, जिसे ¹[सरकार] अनुमोदित करे, पट्टे पर दे सकेगा।

(3) इस धारा के अधीन किए गए प्रत्येक पट्टे में उस समय पुनः प्रवेश करने की शर्त विवक्षित होगी यदि उसके लिए जाने के पश्चात् किसी समय ¹[सरकार] के समाधानप्रद रूप में यह साबित कर दिया जाता है कि पट्टेदार ने पट्टे पर दी गई ट्राम या उसके किसी भाग का कार्यकरण ऐसे कारण के बिना जो ¹[सरकार] की राय में उसके बंद किए जाने का पर्याप्त आधार हो व्यावहारिक रूप से एक मास से बंद कर दिया है।

(4) स्थानीय प्राधिकारी द्वारा पट्टा किए जाने के आशय की सूचना विहित रीति में दी जाएगी।

(5) यदि स्थानीय प्राधिकारी पट्टे के माध्यम से ऐसा भाटक अभिप्राप्त नहीं कर सकता है, जिसे वह ट्राम के लिए उचित भाटक मानता है, तो वह ¹[सरकार] की पूर्व मंजूरी से तथा ऐसे निबन्धनों पर, जैसी ¹[सरकार] निदेश दे, अपने आप ट्राम पर गाड़ियां ला सकेगा और चला सकेगा तथा उन गाड़ियों के उपयोग की बाबत प्राधिकृत पथकार मांग सकेगा तथा ले सकेगा।

नियम

24. नियम बनाने की शक्तियां—(1) इस अधिनियम द्वारा अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से प्रदत्त नियम बनाने की किसी अन्य शक्ति के अतिरिक्त, ¹[सरकार] इस अधिनियम से सुसंगत नियम निम्नलिखित की बाबत बना सकेगी :—

(क) वह प्ररूप जिसमें आदेश के लिए आवेदन किया जाएगा;

(ख) किसी आदेश की बाबत किसी आवेदक द्वारा संदत्त किया जाने वाला खर्च तथा वह समय, जब तथा वह स्थान, जहां ऐसे खर्चों का संदाय किया जाएगा;

(ग) किसी आदेश के लिए धारा 6 की उपधारा (4) के अधीन आदेश के प्रकाशित किए जाने अथवा धारा 8 के अधीन अतिरिक्त आदेश के लिए जाने के पूर्व आवेदक द्वारा निक्षेप के रूप में धन का संदाय अथवा प्रतिभूतियों का रखा जाना; इस प्रकार संदत्त धन का विनिधान; इस प्रकार संदत्त, रखे गए या विनिधान किए गए शोध्य धन या प्रतिभूतियों पर प्रोद्भूत ब्याज या लाभांशों का समय-समय पर व्ययन; धन या प्रतिभूतियों का या उसके उत्पाद का संप्रवर्तक द्वारा उपगत किसी दायित्व के उन्मोचन के लिए उपयोजन तथा धन या प्रतिभूतियों का समपहरण, प्रतिसंदाय या वापिस किया जाना;

(घ) आदेश के लिए आवेदकों अथवा संप्रवर्तकों द्वारा जमा किए जाने वाले किसी संकर्म के नक्शे तथा अनुभाग;

(ङ) ट्राम पर वाष्प शक्ति या किसी अन्य यांत्रिक शक्ति ²[या विद्युत शक्ति] के उपयोग का विनियमन;

(च) धारा 7 की उपधारा (2) के खण्ड (ग), खण्ड (घ), खण्ड (ङ), खण्ड (ण) तथा खण्ड (ट) में विनिर्दिष्ट कोई बात, जो बात आदेश में तब उपबंधित की जा सकती थी, जब वह बात इस प्रकार उपबंधित नहीं की गई है, अथवा ¹[सरकार] की राय में प्रभावकारी रूप में उपबंधित नहीं की गई है;

¹ भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "स्थानीय सरकार" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

² 1911 के अधिनियम सं० 5 की धारा 6 द्वारा अन्तःस्थापित।

(छ) संप्रवर्तकों, पट्टेदारों तथा अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा यातायात और प्राप्तियों का लेखा-जोखा ¹[सरकार] को कालिक रूप में, अथवा जैसा वह सरकार निदेश दे, प्रस्तुत करना तथा ऐसे प्ररूप जिसमें ऐसे लेखे-जोखे प्रस्तुत किए जाएंगे;

(ज) ऐसी दुर्घटनाएं जिनकी रिपोर्ट ¹[सरकार] को दी जानी हैं अथवा जैसी सरकार निदेश दे;

(झ) ऐसा कोई विषय जिसके बारे में इस धारा के अधीन स्थानीय प्राधिकारी या संप्रवर्तक या पट्टेदार नियम बना सकते हैं; तथा

(ञ) साधारणतया ऐसा कोई अन्य विषय या बात जिसके सम्बन्ध में ¹[सरकार] को इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाना समीचीन प्रतीत हो।

(2) कोई स्थानीय प्राधिकारी, समय-समय पर ¹[सरकार] की पूर्व मंजूरी से, इस अधिनियम से तथा इस अधिनियम के अधीन ¹[सरकार] द्वारा किए गए आदेश या बनाए गए किसी नियम से संगत नियम निम्नलिखित को विनियमित करने के लिए बना सकेगा, अर्थात् :—

(क) स्थानीय प्राधिकारी के सर्किल के भीतर ट्राम पर यात्रा करने में अनुपालन की जाने वाली गतिसीमा;

(ख) ट्राम पर पशु शक्ति का उपयोग;

(ग) ऐसी दूरियां जिन पर ट्राम का उपयोग करने वाली गाड़ियों को दूसरे के पीछे चलने की अनुज्ञा दी जाएगी;

(घ) ट्राम का उपयोग करने वाली गाड़ियों का रोका जाना तथा उनके आने के बारे में जनता को सूचना देना;

(ङ) सूर्यास्त के पश्चात् तथा सूर्योदय के पूर्व ट्राम का उपयोग करने वाली गाड़ियों में प्रकाश किए जाने की रीति;

(च) उन सड़कों पर यातायात, जिनके साथ-साथ या जिनके आर-पार ट्राम बिछाई गई है;

(छ) यात्रियों की संख्या, जिन्हें किसी गाड़ी में बहन किया जाएगा;

(ज) संप्रवर्तन या पट्टेदार या अनुज्ञप्तिधारी की गाड़ियों के भारसाधक ड्राइवरों, कंडक्टरों और अन्य व्यक्तियों को अनुज्ञप्ति का दिया जाना तथा उनका नियन्त्रण; तथा

(झ) साधारणतया ट्राम के उपयोग का ढंग।

2*

*

*

*

*

(3) किसी ट्रामपथ का संप्रवर्तन या पट्टेदार, समय-समय पर ¹[सरकार] की पूर्व मंजूरी से इस अधिनियम से तथा इस अधिनियम के अधीन किए गए आदेश या बनाए गए किसी नियम से संगत नियम³—

(क) उसकी किसी गाड़ी या उसके ऊपर या उसके किसी परिसर में या उसके विरुद्ध किसी प्रकार की न्यूसेंस का निवारण करने के लिए, तथा

(ख) उसकी किसी गाड़ी में यात्रा को विनियमित करने के लिए,

बना सकेगा।

(4) इस धारा के अधीन स्थानीय प्राधिकारी या संप्रवर्तक या पट्टेदार द्वारा बनाया गया कोई नियम ¹[सरकार] रद्द कर सकेगी।

4[24क. नियमों का संसद् और राज्य विधान-मंडल के समक्ष रखा जाना]—(1) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह ऐसी कुल तीस दिन की अवधि के लिए सत्र में हो, जो एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकती है, रखा जाएगा और यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्र के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं, या दोनों सदन इस बात से सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो ऐसा नियम, यथास्थिति, तत्पश्चात् केवल ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा या उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि, उस नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से पहले उसके अधीन की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी या संप्रवर्तक या पट्टेदार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, राज्य-विधान मंडल के समक्ष रखा जाएगा।]

25. नियम द्वारा शास्ति अधिरोपित करने की शक्ति—धारा 24 के अधीन कोई नियम बनाने वाला प्राधिकारी यह निदेश दे सकेगा कि इन नियमों को भंग करना जुर्माने से दंडनीय होगा, जो—

¹ भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा “स्थानीय सरकार” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

² विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा परन्तुक का लोप किया गया।

³ उदाहरणार्थ, देखिए सद्रास नियम तथा आदेश।

⁴ 2005 के अधिनियम सं० 4 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा अंतःस्थापित।

(क) यदि नियम बनाने वाला प्राधिकारी ¹[सरकार] है तो, दो सौ रुपए तक का हो सकेगा, तथा

(ख) यदि वह प्राधिकारी स्थानीय प्राधिकारी या संप्रवर्तक या पट्टेदार है, तो बीस रुपए तक हो सकेगा,

और यदि भंग चालू रहने वाला भंग है तो प्रथम भंग के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान भंग चालू रहता है, अतिरिक्त जुर्माने से दण्डनीय होगा जो—

(ग) यदि नियम बनाने वाला प्राधिकारी ¹[सरकार] है तो पचास रुपए तक का हो सकेगा, तथा

(घ) यदि वह प्राधिकारी स्थानीय प्राधिकारी या संप्रवर्तक या पट्टेदार है, तो पांच रुपए तक का हो सकेगा।

26. नियम बनाने तथा उनके प्राकशन की प्रक्रिया—(1) प्रत्येक ऐसा प्राधिकारी, जिसे इस अधिनियम की किसी धारा के अधीन नियम बनाने की शक्ति है, नियम बनाने से पूर्व, प्रस्तावित नियमों के प्रारूप को, ऐसे व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित करेगा, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है।

(2) ऐसा प्रकाशन ¹[सरकार] द्वारा बनाए गए नियमों की दशा में ऐसी रीति से, जो उसकी राय में हितबद्ध व्यक्तियों को जानकारी देने के लिए पर्याप्त हो तथा किसी स्थानीय प्राधिकारी या संप्रवर्तक या पट्टेदार द्वारा बनाए गए नियमों की दशा में, ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, किया जाएगा।

(3) प्रारूप के साथ एक सूचना प्रकाशित की जाएगी जिसमें वह तारीख विनिर्दिष्ट की जाएगी जो प्रकाशन की तारीख के पश्चात् एक मास के अवसान के पूर्व की न हो, जिसको या जिसके पश्चात् उक्त प्रारूप पर विचार किया जाएगा।

(4) प्राधिकारी, इस प्रकार विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व, प्रारूप की बाबत किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी आक्षेप या सुझाव को प्राप्त करेगा तथा उन पर विचार करेगा।

(5) इस अधिनियम के अधीन बनाए जाने के लिए आशयित किसी नियम का राजपत्र में प्रकाशन इस बात का निश्चायक सबूत होगा कि नियम सम्यक् रूप से बनाया गया है।

अपराध

27. अधिनियम या आदेश का अनुपालन करने में संप्रवर्तक, पट्टेदार या अनुज्ञप्तिधारी के असफल होने पर शास्ति—यदि कोई संप्रवर्तक—

(क) किसी ट्राम का संनिर्माण या रखरखाव आदेश के अनुसार न करके अन्यथा करता है, या

(ख) धारा 12 द्वारा अपेक्षित रीति से ट्राम का निरीक्षण तथा प्रमाणित किए जाने के पूर्व ट्राम को यातायात के लिए खोलता है या इस प्रकार खोले जाने की अनुज्ञा देता है, या

(ग) आदेश की किसी ऐसी अपेक्षा या शर्त का अनुपालन करने में असफल रहता है जिसकी अपेक्षा या भंग के लिए आदेश में अभिव्यक्त रूप से कोई शास्ति उपबंधित नहीं है,

अथवा यदि कोई संप्रवर्तक, पट्टेदार या अनुज्ञप्तिधारी आदेश से अन्यथा किसी ट्राम पर गाड़ी चलाता है,

तो वह (इस अधिनियम या आदेश की अपेक्षाओं के विनिर्दिष्ट अनुपालन के प्रवर्तन पर अथवा किसी ऐसे उपचार पर, जो सिविल न्यायालय में उसके विरुद्ध अभिप्राप्त हो सके, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना) ¹[सरकार] द्वारा या स्थानीय प्राधिकारी या सड़क-प्राधिकारी द्वारा अथवा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अथवा जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व मंजूरी से किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो उक्त कार्य का कार्यलोप से हानिकर रूप में प्रभावित हो, परिवाद किए जाने पर जुर्माने से जो दो सौ रुपए तक का हो सकेगा तथा अपराध के चालू रहने की दशा में अतिरिक्त जुर्माने से, जो पहले दिन के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान अपराध का किया जाना चालू रहता है, पचास रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

28. संप्रवर्तक को उसकी शक्तियों का प्रयोग करने में बाधा पहुंचाने के लिए शास्ति—यदि कोई व्यक्ति किसी वैध कारण के बिना, जिसे साबित करने का भार उसी पर होगा, संप्रवर्तक के प्राधिकार के अधीन कार्य करने वाले किसी व्यक्ति को किसी ट्राम के संनिर्माण या उसके रखरखाव में उसकी विधिपूर्ण शक्तियों का प्रयोग करने में बाधा पहुंचाता है अथवा ट्राम की लाइन को बिछाने के लिए किसी चिह्न को क्षति पहुंचाता है या नष्ट करता है, तो वह जुर्माने से, जो पचास रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

29. ट्राम में गड़बड़ करने के लिए शास्ति—यदि कोई व्यक्ति किसी वैध कारण के बिना, जिसके साबित करने का भार उसी पर होगा, निम्नलिखित में से कोई बात करता है, अर्थात् :—

(क) इस अधिनियम के अधीन संनिर्मित किसी ट्राम के किसी भाग को अथवा उससे संबंधित संकर्मों में छेड़छाड़ करता है या उसे हटाता है या उसमें परिवर्तन करता है; अथवा

(ख) ऐसे ट्राम पर या उसके आर-पार कोई लकड़ी, पत्थर, कचरा या अन्य वस्तु रखता है या फेंकता है; अथवा

¹ भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा “स्थानीय सरकार” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(ग) कोई बात ऐसी रीति से करता है जिससे ऐसे ट्राम का उपयोग करने में किसी गाड़ी को बाधा पहुंचती है; अथवा

(घ) खण्ड (क), खण्ड (ख) या खण्ड (ग) में वर्णित किसी बात को करने के लिए भारतीय दण्ड संहिता, (1860 का 45) के अर्थ के भीतर दुष्प्रेरण करता है अथवा उसको करने का प्रयत्न करता है,

तो वह किसी अन्य उपचार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जो उसके विरुद्ध किसी सिविल अधिकारिता वाले न्यायालय में प्राप्त किया जा सके, जुर्माने से, जो एक सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

30. कोरदार पहियों वाली गाड़ी का ट्राम पर उपयोग के लिए शास्ति—यदि कोई व्यक्ति संप्रवर्तक के पट्टे के अधीन या उसके साथ किए गए करार द्वारा या इस अधिनियम के अधीन अनुदत्त [सरकार] की अनुज्ञप्ति के सिवाय किसी ट्राम पर, धारा 14 द्वारा जैसा अनुज्ञात है उससे भिन्न कोरदार पहिए वाली अथवा ट्राम की रेल पर चलने के लिए उपयुक्त अन्य पहियों वाली गाड़ी का उपयोग करता है तो वह जुर्माने से, जो दो रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

31. उचित पथकर के संदाय के अपवंचन के लिए शास्ति—(1) यदि कोई व्यक्ति संप्रवर्तक या पट्टेदार या अनुज्ञप्तिधारी की गाड़ी में यात्रा करते हुए अथवा यात्रा करने के पश्चात् पथकर के संदाय का अपवंचन करता है या करने का प्रयत्न करता है या यदि कोई व्यक्ति कुछ देरी तक के लिए पथकर का संदाय करने के पश्चात् ऐसी किसी गाड़ी में जानबूझकर उस दूरी से आगे अग्रसर होता है और अतिरिक्त दूरी के लिए अतिरिक्त पथकर का संदाय नहीं करता है या उसके संदाय के अपवंचन का प्रयत्न करता है अथवा यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर ऐसे स्थान पर पहुंचने के पश्चात्, जिसके लिए उसने पथकर का संदाय किया है, गाड़ी को छोड़ने से इंकार करता है या उपेक्षा करता है तो वह जुर्माने से, जो दस रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

(2) यदि कोई व्यक्ति, इस धारा के अधीन कोई अपराध करता है तथा संप्रवर्तक, पट्टेदार या अनुज्ञप्तिधारी के किसी सेवक की मांग पर अपना नाम और निवास स्थान बताने से इंकार करता है अथवा ऐसा नाम या निवास स्थान बताता है, जिसके बारे में सेवक को यह विश्वास करने का कारण है कि वे मिथ्या हैं तो उसे गिरफ्तार किया जा सकेगा और उसे सेवक या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जिसे सेवक अपनी सहायता के लिए बुला ले, निकटतम थाने में ले जाया जा सकेगा।

(3) जब किसी व्यक्ति को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है तो उसे कम से कम संभव विलम्ब से निकटतम मजिस्ट्रेट के पास तब ले जाया जाएगा जब कि उसका सही नाम तथा निवास स्थान अभिनिश्चित न कर लिया जाए, जिस दशा में उसे, यदि अपेक्षित हो, मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होने के लिए बंधपत्र निष्पादन करने पर छोड़ दिया जाएगा।

32. सूचना दिए बिना खतरनाक या घृणोत्पादक माल को लेने या भेजने के लिए शास्ति—यदि कोई व्यक्ति ट्राम द्वारा खतरनाक या घृणोत्पादक प्रवृत्ति का कोई माल धारा 10 के अधीन अपेक्षित सूचना दिए बिना लेता है या भेजता है तो वह जुर्माने से, जो पचास रुपए तक हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

33. संप्रवर्तक या पट्टेदार को यातायात का लेखा-जोखा न देने के लिए या मिथ्या लेखाजोखा देने के लिए अनुज्ञप्तिधारी के लिए शास्ति—(1) यदि कोई अनुज्ञप्तिधारी, मांग किए जाने पर, धारा 18 में वर्णित लेखा-जोखा देने में असफल रहता है या जब उससे उस धारा के अधीन लेखा-जोखा देने के लिए कहा जाए तब पथकर के संदाय के अपवंचन के आशय से मिथ्या लेखा-जोखा देता है तो वह जुर्माने से, जो पचास रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(2) वह जुर्माना ट्राम पर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रयुक्त गाड़ी या गाड़ियों में वहन किए गए यात्रियों या मालों की बाबत अनुज्ञप्तिधारी द्वारा संप्रवर्तक या पट्टेदार को संदेय पथकर के अतिरिक्त होगा।

34. अन्य विधियों के अधीन अभियोजन की व्यावृत्ति—इस अधिनियम की कोई बात किसी व्यक्ति को किसी अन्य विधि के अधीन ऐसे कार्य या कार्यलोप के लिए, जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन अपराध गठित करता है, अभियोजित किए जाने से या उस अन्य विधि के अधीन, इस अधिनियम या इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन उपबंधित दण्ड या शास्तियों से कोई अन्य उच्चतर दण्ड या शास्ति के लिए दायी होने से निवारित नहीं करेगी :

परन्तु कोई व्यक्ति एक ही अपराध के लिए दो बार दंडित नहीं किया जाएगा।

मतभेदों का निपटारा

35. संप्रवर्तकों या पट्टेदारों तथा प्राधिकारियों के बीच मतभेद—(1) यदि एक ओर संप्रवर्तक या पट्टेदार तथा दूसरी ओर [सरकार] या स्थानीय प्राधिकारी या सड़क-प्राधिकारी या ऐसे व्यक्ति के बीच, जिसके भारसाधन में ट्राम के अधिभोग में की भूमि में या उस पर का कोई मलनल, नाली, तार लाइनें, गैस नल, पानी के नल या कोई अन्य चीजें हैं, इस अधिनियम या किसी अन्य अधिनियम अथवा इस अधिनियम के अधीन किए गए आदेश या बनाए गए नियम के आधार पर दोनों पक्षकारों में से किसी के द्वारा या किसी की ओर से किए गए या किए जाने का दावा किए गए किसी हस्तक्षेप या नियंत्रण की बाबत अथवा किसी कार्य के निष्पादन के औचित्य या उसके ढंग की बाबत अथवा संप्रवर्तक या पट्टेदार द्वारा किए जाने वाले या उनको दिए जाने वाले किसी प्रतिकर की बाबत अथवा किसी ऐसे प्रश्न पर कि क्या वह संकर्म ऐसा है जिसे [सरकार] या सड़क-प्राधिकारी या दोनों का युक्तियुक्त रूप से समाधान होना चाहिए अथवा इस अधिनियम या उस अधिनियम के अधीन किए गए आदेश या बनाए गए नियमों द्वारा विनियमित या उनमें समाविष्ट किसी

¹ भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "स्थानीय सरकार" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

अन्य विषय या बात की बाबत जो उनमें अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित नहीं है, कोई मतभेद उत्पन्न होता है तो मतभेद के विषय या निपटारा, वहां के सिवाय, जहां पक्षकार सिविल प्रक्रिया संहिता¹ की धारा 523 के अधीन कार्यवाही करने का विकल्प करता है, दोनों पक्षकारों में से किसी पक्षकार के आवेदन पर किसी मध्यस्थ द्वारा किया जाएगा।

(2) जहां मतभेद—

(क) एक ओर संप्रवर्तक या पट्टेदार तथा दूसरी ओर ²[सरकार], चाहे उस रूप में या सड़क-प्राधिकारी के रूप में, के बीच, अथवा

(ख) एक ओर संप्रवर्तक तथा दूसरी ओर स्थानीय प्राधिकारी के बीच ऐसी धनराशि की बाबत है, जिसका संदाय स्थानीय प्राधिकारी द्वारा किसी ऐसे उपक्रम या उपक्रम के किसी ऐसे भाग के लिए किया जाना है, जिसका उस प्राधिकारी ने संप्रवर्तक से धारा 22 के अधीन विक्रय करने की अपेक्षा की है,

वहां मध्यस्थ वह जिला न्यायालय होगा जिसकी अधिकारिता के भीतर ट्राम स्थित हो अथवा जहां ट्राम एक से अधिक जिला न्यायालय की अधिकारिता के भीतर है, वहां ऐसा जिला न्यायालय होगा, जिसकी अधिकारिता के भीतर ट्राम का बड़ा भाग स्थित हो।

(3) अन्य मामलों में मध्यस्थ ²[सरकार] नियुक्त करेगी।

(4) वहां के सिवाय, जहां मध्यस्थ जिला न्यायालय, है मध्यस्थ की शक्तियां तथा प्रक्रिया विहित की जा सकेगी।

(5) एक ओर संप्रवर्तक तथा दूसरी ओर स्थानीय प्राधिकारी के बीच ऐसी धनराशि की बाबत मतभेद के मामले में, जिसका संदाय स्थानीय प्राधिकारी द्वारा उपक्रम या ऐसे उपक्रम के किसी भाग के लिए किया जाना है जिसका उस प्राधिकारी ने, संप्रवर्तक से धारा 2 के अधीन विक्रय करने की अपेक्षा की है, मध्यस्थ पंचाट के विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय में वैसे ही की जाएगी जैसे जिला न्यायालय की मूल डिक्री से की जाती है।

(6) मतभेद के प्रत्येक अन्य मामले में मध्यस्थ का अधिनिर्णय अंतिम होगा।

पथकर की वसूली

36. संप्रवर्तकों से तथा कुछ मामलों में पट्टेदारों से देय धन की वसूली—निम्नलिखित में से कोई धन, अर्थात् पट्टेदार द्वारा स्थानीय प्राधिकारी को देय कोई भाटक, आदेश के अधीन संप्रवर्तक या पट्टेदार से वसूल की जाने वाली कोई शास्ति, मध्यस्थ के पंचाट के अधीन संप्रवर्तक या पट्टेदार द्वारा संदेय कोई राशि, किसी ऐसे कार्य के, जिसे इस अधिनियम द्वारा या आदेश द्वारा संप्रवर्तक द्वारा किए जाने की अपेक्षा की गई है, ²[सरकार] द्वारा या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या सड़क-प्राधिकारी द्वारा इस अधिनियम के अधीन निष्पादन किए जाने के खर्च, तथा इस अधिनियम के अधीन सड़क-प्राधिकारी द्वारा किसी ट्राम को हटाने तथा सड़क को पुनःस्थापित करने में उपगत खर्च, ऐसे किसी अन्य उपचार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जो ऐसे प्राधिकारी को, जिसे उक्त राशि देय है, वाद द्वारा या अन्यथा प्राप्त हो, उक्त प्राधिकारी द्वारा, इस निमित्त कलक्टर को आवेदन देकर, वैसे ही वसूल किया जा सकेगा मानो वह धनराशि संप्रवर्तक या पट्टेदार या उसके प्रतिभू (यदि कोई हों) द्वारा देय भूमि राजस्व की बकाया हो :

परन्तु इस धारा की कोई बात कलक्टर द्वारा जारी की गई किसी आदेशिका के निष्पादन के लिए किसी संप्रवर्तक या पट्टेदार या उसके प्रतिभू को गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकृत नहीं करेगी।

37. अनुज्ञप्तिधारियों से पथकर का वसूल किया जाना—(1) यदि कोई अनुज्ञप्तिधारी, मांग किए जाने पर, ट्राम के उपयोग के लिए देय पथकर का संदाय करने में असफल रहता है, तो संप्रवर्तक या पट्टेदार, जिसको ऐसे पथकर देय हैं, ऐसे उपचार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जो उसे वाद द्वारा प्राप्त हो, पथकर की रकम को वसूल करने के लिए मजिस्ट्रेट को आवेदन कर सकेगा तथा मजिस्ट्रेट अनुज्ञप्तिधारियों को, यदि संभव हो, सूचना देने के पश्चात् और उसे सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उस रकम को अनुज्ञप्तिधारी की ऐसी किसी गाड़ी या जंगम सम्पत्ति के, जो ट्राम पथ पर या उससे संबंधित परिसरों पर पाई जाए, करस्थम् या विक्रय द्वारा वसूल करने की कार्यवाही कर सकेगा।

(2) जहां कोई अनुज्ञप्तिधारी, मांग किए जाने पर, उसके द्वारा देय पथकर का संदाय करने में असफल रहा हो वहां संप्रवर्तक या पट्टेदार, जिसको ऐसा पथकर देय है, अनुज्ञप्तिधारी की ऐसी किसी गाड़ी या अन्य जंगम संपत्ति को, जो ट्राम पर या उससे संबंधित परिसरों पर पाई जाए, अभिगृहीत कर सकेगा तथा उसे अड़तालीस घंटे तक, जब तक कि पथकर का संदाय उससे पहले ही न कर दिया जाए, निरुद्ध कर सकेगा।

(3) जब उपधारा (1) के अधीन मजिस्ट्रेट को आवेदन किया जाता है तो वह अपने अंतिम विनिश्चय के लंबित रहने तक करस्थम् का एक अंतरिम आदेश कर सकेगा।

38. यात्रियों से पथकर का वसूल किया जाना—किसी संप्रवर्तक, पट्टेदार या अनुज्ञप्तिधारी को यात्री द्वारा देय कोई पथकर या तो वाद द्वारा या ऐसे स्थानीय क्षेत्र के भीतर, जिसमें ट्राम का कोई भाग बिछाया गया है, अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को आवेदन

¹ मध्यस्थम् अधिनियम, 1940 (1940 का 10) के सुसंगत उपबन्ध देखें।

² भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "स्थानीय सरकार" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

करके, उस मजिस्ट्रेट की अधिकारिता की स्थानीय सीमा के भीतर उक्त यात्री की जंगम संपत्ति के करस्थम् तथा विक्रय द्वारा वूसल किया जा सकेगा।

व्यावृत्तियां

39. संप्रवर्तक को केवल उपयोग का अधिकारी होना—(1) इस अधिनियम में या इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी आदेश या बनाए गए किसी नियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी उस सड़क पर, जिसके साथ-साथ या जिसके आर-पार ट्राम बिछाई गई है केवल उसका उपयोग करने के अधिकार से भिन्न अधिकार अर्जित नहीं करेगा, और इस अधिनियम या इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी आदेश या बनाए गए किसी नियम में अंतर्विष्ट कोई बात संप्रवर्तकों को या ट्राम का उपयोग करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे प्रभारों का संदाय करने से छूट नहीं देगी, जो उक्त सड़क या पुल के उपयोग की बाबत, जिसके साथ-साथ या जिसके आर-पार ट्राम बिछाई गई है, विधिपूर्वक उद्गृहीत किए जा सकेंगे।

(2) राज्य सरकार, यदि उचित समझे, ऐसी दरें नियत कर सकेगी जिन पर संप्रवर्तक, पट्टेदार या अनुज्ञप्तिधारी सड़क या पुल के उपयोग की बाबत संदेय प्रभारों के लिए प्रशमन कर सकेगा।

40. उन सड़कों पर, जिन्हें ट्राम ने पार किया है, शक्ति की व्यावृत्ति—(1) इस अधिनियम या इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी आदेश या बनाए गए किसी नियम की कोई बात ऐसी किसी शक्ति को वापस या उसमें कटौती नहीं करेगी, जो सड़क-प्राधिकारी या स्थानीय प्राधिकारी या कोई अन्य व्यक्ति विधि द्वारा, उस सड़क, रेल या ट्राम को, जिसके साथ-साथ और जिसके आर-पार ट्राम बिछाई गई है, तोड़ने, उसको चौड़ा करने, उसमें परिवर्तन करने तथा उसको तोड़ने या उसमें सुधार करने के लिए रखता है।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी कार्य का निष्पादन करने वाला सड़क-प्राधिकारी, स्थानीय प्राधिकारी या अन्य व्यक्ति उस कार्य के निपादन द्वारा ट्राम को हुई क्षति के लिए या उसके निष्पादन में प्रयुक्त किसी विधिपूर्ण शक्ति के युक्तियुक्त उपयोग द्वारा हुए यातायात के घाटे के लिए संप्रवर्तक, पट्टेदार, या अनुज्ञप्तिधारी को कोई प्रतिकर देने का दायी नहीं होगा।

41. स्थानीय प्राधिकारी तथा पुलिस की, सड़क पर यातायात को विनियमित करने की शक्ति की व्यावृत्ति—इस अधिनियम या इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी आदेश या बनाए गए किसी नियम की कोई बात, उस सड़क के साथ-साथ तथा उसके आर-पार, जिसके साथ-साथ या जिसके आर-पार ट्राम बिछाई गई है, यातायात को विनियमित करने की किसी स्थानीय प्राधिकारी या मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी की शक्तियों को प्रभावित नहीं करेगी तथा पूर्वोक्त प्राधिकारी, मजिस्ट्रेट या अधिकारी अपनी शक्तियों का प्रयोग ट्राम पर उसी प्रकार, जैसे ट्राम से परे, तथा संप्रवर्तक, पट्टेदार या अनुज्ञप्तिधारी के यातायात की बाबत उसी प्रकार, जैसे अन्य व्यक्तियों के यातायात के लिए, कर सकेंगे।

अनुपूरक उपबन्ध

42. संप्रवर्तकों, पट्टेदारों तथा अनुज्ञप्तिधारियों का सभी क्षतियों के लिए उत्तरदायी होना—कोई संप्रवर्तक, पट्टेदार या अनुज्ञप्तिधारी अपनी किसी गाड़ी या संकर्म के कारण या उसके फलस्वरूप अपने कार्य या व्यतिक्रम से होने वाली या अपने नियोजन में के किसी व्यक्ति के कार्य या व्यतिक्रम से होने वाली सभी क्षतियों के लिए उत्तरदायी होगा और सभी प्राधिकारियों या व्यक्तियों को संयुक्त रूप से और पृथक्-पृथक् और उनके अधिकारियों या सेवकों को इस प्रकार होने वाली क्षतियों की बाबत सभी नुकसानियों और खर्चों की क्षतिपूर्ति करेगा।

43. निधियों के अभाव का व्यतिक्रम के लिए पर्याप्त कारण न होना—इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए निधियों का अभाव किसी संप्रवर्तक या पट्टेदार द्वारा किसी ट्राम के निर्माण के निलंबन या कार्यकरण को बन्द करने के लिए पर्याप्त कारण नहीं समझा जाएगा।

44. नगरपालिका कर से छूट देने की शक्ति—इस अधिनियम के अधीन जहां किसी ट्राम का सन्निर्माण किसी नगरपालिका की सीमा के भीतर किया जाता है वहां राज्य सरकार संप्रवर्तक, पट्टेदार या अनुज्ञप्तिधारी के पशुओं, संयंत्र, चल-स्टाक, यार्ड, कर्मशाला, इंजन शेड, ¹[विद्युत उत्पादन स्टेशन या उप-स्टेशन] तथा डिपो को, ऐसी अवधि के लिए, जैसी वह ठीक समझे, उन सीमाओं के भीतर उद्ग्रहणीय सभी या किन्हीं नगरपालिक करों से छूट दे सकेगी।

45. स्थानीय निधियों का स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा ट्राम के लिए उपयोजन—(1) ऐसी निधि, जिसका या जिसके नियंत्रण या प्रबंध का किसी नगरपालिका, छावनी या जिले का स्थानीय प्राधिकारी हकदार है या जो उसमें न्यस्त है, इन प्रयोजनों की बाबत, जिनके लिए उस निधि का उपयोजन किया जा सकेगा, किसी अधिनियमिति में किसी बात के होते हुए भी ²[समुचित सरकार] के नियंत्रण के अधीन रहते हुए ऐसी शक्तियों तथा कृत्यों के प्रयोग में आनुषंगिक व्ययों के संदाय के लिए उपयोजित की जा सकेगी जो इस अधिनियम के अधीन किसी स्थानीय प्राधिकारी में निहित हो या उसके द्वारा प्रयोग की जाएं।

(2) निधि का उपयोजन ²[समुचित सरकार] द्वारा ऐसे धन पर ब्याज के संदाय की प्रत्याभूति के रूप में भी किया जा सकेगा, जिसका उपयोग स्थानीय प्राधिकारी की लिखित सम्मति से, उसके नियंत्रण के अधीन स्थानीय क्षेत्र की सीमाओं के भीतर ऐसे किसी प्रयोजनों के लिए किया जाने वाला हो, जिनके लिए निधि का उपयोग उपधारा (2) के अधीन स्थानीय प्राधिकारी द्वारा किया जाता।

¹ 1911 के अधिनियम सं० 5 की धारा 7 द्वारा अंतःस्थापित।

² भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "स्थानीय सरकार" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

¹[(3) इस धारा में “समुचित सरकार” से ऐसी केन्द्रीय या राज्य सरकार अभिप्रेत है, जिसके कार्यपालक प्राधिकार का विस्तार सम्बद्ध प्राधिकारी पर है।]

46. अधिनियम का विद्यमान ट्राम पर विस्तार—²[सरकार] स्थानीय प्राधिकारी और सड़क प्राधिकारी और संप्रवर्तक या उसके पट्टेदार (यदि कोई हो) की सम्मति से, इस अधिनियम के किसी भाग का या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों का विस्तार, उपांतरण सहित या उसके बिना, ऐसे किसी संपूर्ण ट्राम या उसके किसी भाग पर कर सकेगी जिसका इस अधिनियम के पारित किए जाने के पूर्व सन्निर्माण किया गया है या सन्निर्माण का किया जाना ²[सरकार] द्वारा प्राधिकृत किया गया है, और इस प्रकार विस्तारित अधिनियम के किसी भाग या किन्हीं नियमों को वापस ले सकेगी।

47. इस अधिनियम के अधीन सिवाय ट्राम के सन्निर्माण का प्रतिषेध—(1) कोई ट्राम, जिसका सन्निर्माण इस अधिनियम के पारित किए जाने से पूर्व ²[सरकार] द्वारा प्राधिकृत नहीं किया गया है, इस अधिनियम के पारित किए जाने के पश्चात् ऐसे किसी स्थान पर, जिस पर इस अधिनियम का विस्तार है, सार्वजनिक यातायात के लिए तब तक सन्निर्मित नहीं की जाएगी जब तक कि वह इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी आदेश के अनुसरण में न हो।

(2) कोई व्यक्ति जो इस धारा की उपधारा (1) का उल्लंघन करते हुए, किसी ट्राम का सन्निर्माण करता है या इस अधिनियम के पारित किए जाने के पश्चात् इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी आदेश के अनुसरण से अन्यथा सार्वजनिक यातायात के लिए किसी ऐसी ट्राम का रख-रखाव का उपयोग करता है जो इस अधिनियम के पारित किए जाने के पूर्व सन्निर्मित या सन्निर्मित किए जाने के लिए ²[सरकार] द्वारा प्राधिकृत नहीं की गई थी, ²[सरकार] या स्थानीय प्राधिकारी के परिवाद पर उस शास्ति से दुगुनी शास्ति के लिए दायी होगा जिसके लिए किसी आदेश के अनुसरण से अन्यथा कार्य करने वाला कोई संप्रवर्तक धारा 27 के अधीन दायी है।

48. स्थानीय प्राधिकारी के सर्किल से स्थानीय क्षेत्र के अपवर्जन पर नियंत्रण का अंतरण—यदि किसी समय कोई ऐसा भाग या इसके अधीन बनाया गया कोई नियम लागू होता है, किसी स्थानीय प्राधिकारी के सर्किल में सम्मिलित नहीं रह जाता है तो, इस अधिनियम या इसके किसी भाग या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम के अधीन और आदेश (यदि कोई हो), के अधीन, उस प्राधिकारी के कृत्य उस स्थानीय क्षेत्र की बाबत, उस ²[सरकार] पर न्यागत होंगे अथवा यदि वह सरकार इस प्रकार निदेश दे तो उस सर्किल के, जिसमें ट्राम सम्मिलित की गई है, स्थानीय प्राधिकारी पर, न्यागत होंगे।

49. [स्पष्टीकरण और रेल अधिनियम, 1879 (1879 का 4) की धारा 54 का संशोधन।] भारतीय रेल अधिनियम, 1890 (1890 का 9) की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा निरसित।

50. सरकार द्वारा समय-समय पर प्रयोग की जाने वाली शक्तियां—इस अधिनियम द्वारा ³[किसी सरकार] को प्रदत्त सभी शक्तियों का प्रयोग समय-समय पर अवसर की अपेक्षानुसार किया जाएगा।

¹ भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा अन्तःस्थापित।

² भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा “स्थानीय सरकार” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

³ भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा “किसी स्थानीय सरकार” के स्थान पर प्रतिस्थापित।